

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (पुलिस) अनुभाग-2

संख्या: 1535/छ-पु0-2-2009-1100(63)/09

लखनऊ: दिनांक 28 अगस्त, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (2) और (3) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त जारी समस्त विद्यमान नियमों का अधिकांश करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस में समूह 'घ' के कर्तव्य श्रेणियों की शर्तों और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश पुलिस समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2009

भाग-एक-सागान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2009 कहली जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

इस नियमावली का लागू होना:-

2. यह नियमावली नियम-5 में निर्दिष्ट समूह 'घ' के समस्त पदों और नियम 3 के खण्ड (झ) में यथा परिभाषित समस्त अधीनस्थ सेवाओं पर लागू होगी।

परिभाषाये:-

3. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) "नियुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य समूह 'घ' के पदों के सम्बन्ध में:-

(एक) जिला पुलिस के लिए-प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक।

(दो) पीएसी वाहिनियों के लिए-सेनानायक।

(तीन) यूनिट के लिए- पुलिस अधीक्षक प्रभारी यूनिट अधिष्ठान।

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

- (ग) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है।
- (घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।
- (ङ.) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
- (च) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है।
- (छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इरा नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व या प्रचलित नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।
- (ज) "पुलिस मुख्यालय" का तात्पर्य मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ/उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है।
- (झ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस समूह 'घ' सेवा से है।
- (ञ) "चयन समिति" का तात्पर्य के सेवा में पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन हेतु नियम 1.1 के अन्तर्गत गठित चयन समिति से है।
- (ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।
- (ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य उस कैलेंडर वर्ष से है जिसमें भर्ती की जाय।
- (ड) 'इकाई' का तात्पर्य पुलिस संगठन की विभिन्न शाखाओं यथा अपराध अनुसंधान विभाग, एण्टिटेरिस्ट स्वचायड, स्पेशल टार्क फोर्स, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम, अभिसूचना, सुरक्षा एण्टिकरेप्शन आर्गेनाइजेशन आदि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग:-

4-(1) प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी शासन द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल किसी पद या समूह के पद को आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिफल का हकदार न होगा।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी, जब तक की उप नियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने वाला आदेश पारित न हो।

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या
1	फालोवर/कुक्/कहार	7887
2	दफ्तारी	118

3	धोबी	554
4	माली	98
5	बारबर	305
6	अर्दली चपरासी	2020
7	सफाई कर्मचारी	1386
8	भिरती	10
9	वाटर मैन	157
10	चौकीदार	44
11	संदेश वाहक	674
12	मोची	117
13	श्रमिक	15
14	पोर्टर	05
15	सईस	45
16	घास कटर	28
17	ग्राउन्डमैन	10
18	बुक बाइन्डर	02
19	नाविक/मल्लाह	06
20	कापिस्ट	17
21	बण्डल लिफ्टर	04
22	हास्टल अटेन्डेण्ट	06
23	हाउस वियरर	1
24	टबुल वियरर	04

भाग-तीन- भर्ती

भर्ती स्रोत	का	5.	समूह "घ" सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-
		(क)	अर्दली प्यून, फालोअर, कुक, कहार, नाई, धोबी, मोची, सईस, संदेश वाहक, चौकीदार, माली, ग्राउन्डमैन, फर्शा, सफाईकर्मी, भिरती, मल्लाह, ग्रासकटर, वाटरमैन, पोर्टर, बण्डल लिफ्टर, हास्टल अटेन्डेण्ट, हाउस एवं टेबिल वियरर, और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद।
			सीधी भर्ती

(ख)	हेड प्यून	स्थायी प्यून / चौकीदार / श्रमिक / पोर्टर / हाउस वियरर / टेबुल वियरर में से पदोन्नति द्वारा
(ग)	हेड फालोअर / कुक / कहार	स्थायी कुक / कहार में से पदोन्नति द्वारा
(घ.)	तफ्तारी / जिल्दसाज / साइक्लोस्टाइल आपरेटर	अहं प्यून / संदेशवाहकों / फराश बण्डल लिफ्टर में से पदोन्नति द्वारा,
(ङ.)	हेड फराश	स्थायी फराश / होस्टल अटेन्डेन्ट में से पदोन्नति द्वारा,
(च)	मुख्य सफाईकर्मी	स्थायी सफाईकर्मी / भिस्ती में से पदोन्नति द्वारा,
(छ)	प्रधान माली	स्थायी माली / ग्रास कटर / ग्राउण्डमैन में से पदोन्नति द्वारा,
(ज)	प्रधान थोबी	स्थायी थोबी में से पदोन्नति द्वारा
(झ)	प्रधान नाई	स्थायी नाई में से पदोन्नति द्वारा
(ञ)	प्रधान मौची	स्थायी मौचियों में से पदोन्नति द्वारा
(ट)	प्रधान वाटर मैन	स्थायी वाटरमैनो में से पदोन्नति द्वारा
(ठ)	प्रधान साइस	स्थायी साइसों में से पदोन्नति द्वारा
(ड)	प्रधान नाविक	स्थायी नाविकों में से पदोन्नति द्वारा

भाग-चार- अर्हता

आरक्षण	6.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।
राष्ट्रीयता	7.	सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-
	(क)	भारत का नागरिक हो, या
	(ख)	तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
	(ग)	भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश-केन्या, युगांडा और युनाइटेड रिपब्लिक आफ तजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रब्रजन किया हो:
		परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है:
		परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी, कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले:
		परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र

	<p>एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।</p> <p>टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।</p>
आयु	<p>8. सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक की आयु न प्राप्त की हो:</p> <p>परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की रिश्ति में उच्चतर आयुसीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।</p>
शैक्षिक अर्हतायें	<p>9(1) नियम 5 (क) में उल्लिखित किसी पद पर भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने कम से कम कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>(2) कोई व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब उसे विभागीय एवं पुलिस बल की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उस पद के कार्य का अपेक्षित ज्ञान एवं समुचित अनुभव हो।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति साईक्लोस्टाइल आपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिए तकनीकी ज्ञान अपेक्षित हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के संबंध में समुचित अनुभव न हो।</p> <p>(4) सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पद पर यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो: परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न होगी।</p> <p>(5) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।</p>
भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य श्रेणी के संबंध में शिथिलता चरित्र	<p>10. भूतपूर्ण सैनिकों, विकलांग सैन्य कार्मिकों, युद्ध के दौरान शहीद हुए सैन्य कार्मिकों के आश्रितों, सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता और भर्ती के लिए प्रक्रिया संबंधी अपेक्षा में शिथिलता भर्ती के समय इस सरकार के समान्य नियमों या आदेशों के अनुसार प्रदान की जायेगी।</p> <p>11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में नियुक्त के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में अपना समाधान कर लें।</p> <p>टिप्पणी:- राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति</p>

वैवाहिक प्रास्थिति	12.	अधिष्ठान में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेंगे। नैतिक अधगता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
शारीरिक स्वस्थता	13.	अधिष्ठान में नियुक्ति के लिए ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो: परन्तु राज्यपाल इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकते हैं, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

भाग-पौच- भर्ती की प्रक्रिया

चयन समिति का गठन	14.	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए चयन समिति का गठित निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:-
	(1)	<p><u>जिला के लिए</u></p> <p>(एक) प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक - अध्यक्ष</p> <p>(दो) प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक स्थापना प्रभारी - सदस्य सचिव</p> <p>(तीन) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा - सदस्य</p> <p>(चार) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो अन्य पिछड़े वर्गों के किसी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। - सदस्य</p>
	(2)	<p><u>प्रान्तीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी के लिए</u></p> <p>(एक) बटालियन कमाण्डेण्ट - अध्यक्ष</p> <p>(दो) सहायक कमाण्डेण्ट स्थापना प्रभारी - सदस्य सचिव</p> <p>(तीन) यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट बटालियन मुख्यालय के अनुसूचित जातियों या</p>

		<p>अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का हो तो बटालियन मुख्यालय के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। - सदस्य</p> <p>(चार) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो बटालियन मुख्यालय के अ पिछड़े वर्गों के किसी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट वि जायेगा। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो बटालियन मुख्यालय के अ पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न व अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। - सदस्य</p>
	(3)	<p>यूनिट के लिए</p> <p>(एक) पुलिस अधीक्षक स्थापना प्रभारी - अध्यक्ष</p> <p>(दो) उप पुलिस अधीक्षक स्थापना प्रभारी - सदस्य सचिव</p> <p>(तीन) यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का न हो- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट यूनिट मुख्यालय के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का हो तो यूनिट मुख्यालय के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। - सदस्य</p> <p>(चार) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो यूनिट मुख्यालय के अ पिछड़े वर्गों के किसी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कि जायेगा। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो यूनिट मुख्यालय के अ पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न के अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। - सदस्य</p>
प्रतिवर्ष की जाने वाली भर्ती	15	(1) रिक्तियों के विद्यमान रहते हुए इस नियमावली के अधीन भर्ती के लि चयन, समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के लिए किसी एक भर्ती वर्ष के अंतर्गत ए बार किया जायेगा।
रिक्तियों को अवधारणा	16	<p>(1) जिला या बटालियन या यूनिट कार्यालय का प्रधान भर्ती के वर्ष के दौरा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा और उसकी सूचन चयन समिति के अध्यक्ष को देगा। यह विनिर्दिष्ट किया जायेगा कि अनुसूचि जाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु कितनी रिक्तियों आरक्षित व जायेगी जिनके लिए समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्ष किया जाना अपेक्षित हो।</p> <p>(2) रिक्तियों की सूचना उप नियम (1) के अधीन प्रति वर्ष जुलाई माह मे जायेगी; परन्तु जहाँ चयन समिति रिक्तियों की सूचना वर्ष के किसी अन्य माह दिये जाने की अपेक्षा करे वहाँ सूचना तदनुसार प्रेषित की जायेगी।</p>

रिक्त की अधिसूचना	17	<p>(1) जब रिक्तियों की सूचना प्राप्त कर ली जायेगी तब उक्त रिक्तियों की औपचारिक अधिसूचना निम्नलिखित रीति से की जायेगी -</p> <p>(1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके।</p> <p>(2) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका कर या आकाशवाणी/ दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके और</p> <p>(3) रोजगार कार्यालय हेतु रिक्तियों अधिसूचित करने।</p>
भर्ती की प्रक्रिया	18	<p>(1) (एक) जब दोनों ही सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों, जिनके लिए रिक्तियों शासनादेशों के अधीन आरक्षित की जानी अपेक्षित हो, के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त कर लिये जायेंगे तब वह अभ्यर्थियों की दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु संगत व्यवसाय के निम्नलिखित परीक्षा आयोजित करेगी, परीक्षा हेतु अधिकतम अंक 90 होंगे।</p> <p>(दो) परीक्षा की पद्धति और मानदण्ड वही होंगे जैसे चयन समिति द्वारा अवधारित किये जायें।</p> <p>(तीन) चयन समिति विभिन्न पदों हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी लेगी। साक्षात्कार हेतु कुल अंक 10 होंगे।</p> <p>(2) चयनित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, चयनित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।</p> <p>(3) चयन सूची में नामों को परीक्षा, साक्षात्कार और वरियता, यदि लागू हो, में दिये गये अंकों के आधार पर रखा जायेगा।</p> <p>(4) क्रमशः सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों की चयन सूचियों की दो प्रतियाँ तैयार की जायेगी। एक प्रति चयन समिति के सचिव के कार्यालय में रहेगी और अन्य प्रति चयन समिति के अध्यक्ष को प्रेषित कर दी जायेगी।</p>
सामान्य सूची	19	<p>जब दोनों सामान्य और आरक्षित वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के नाम किसी विशेष कार्यालय में प्राप्त कर लिये जायें तब उन नामों को सामान्य सूची में रखा जायेगा। प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची से होगा तत्पश्चात् आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची से होगा और इसी प्रकार आगे भी होगा।</p>
पदोन्नति की प्रक्रिया	20	<p>(1) समस्त पदों के संबंध में पदोन्नति का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगा।</p> <p>(2) किसी अभ्यर्थी को सोलह वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् ही पदोन्नति हेतु उपयुक्त माना जायेगा।</p> <p>(3) नियम 14 के उप नियम (1), (2) और (3) में यथा उचित चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों के मध्य से उरसी स्थापना के अंतर्गत पदोन्नति की जायेगी।</p>

भाग-छह -नियुक्ती, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्वाबदारी

नियुक्ति

प्रशिक्षण

परिवीक्षा

स्थायीकरण

21	<p>(1) भौतिक रिक्तियों के उत्पन्न होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, नियम 19 या 20 अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची में से, उनके नाम तरा बम में लेकर जैसा सामान्य सूची में आये हों, नियुक्तियों करेगा।</p> <p>(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापन्न और अस्थाई रिक्तियों में भी उक्त सूची में से ही उपनियम (1) में निर्दिष्ट रीति में नियुक्तियों करेगा।</p> <p>(3) किसी विशेष जिले या पीएसी बटालियन या इकाई के लिए विररी पद पर नियुक्त व्यक्ति सामान्य दशा में किसी अन्य स्थापना में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।</p>
22	<p>विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन शासन के पूर्वानुमोदन से स्थानान्तरण किया जा सकेगा।</p> <p>(1) रसोइया (कुक) के पद पर नियुक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय से मान्यता प्राप्त पुलिस प्रशिक्षण संस्थान से 15 दिन की अवधि के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है।</p> <p>(2) प्रत्येक रसोइये को 3 वर्षों के प्रत्येक अंतराल पर पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय से मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण संस्थान से शासकीय व्यय पर 15 दिनों का पाक कला (कूकिंग) व पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अवश्य पूरा करना होगा।</p> <p>(3) सेवा में सभी अन्य कर्मचारियों को (समाई कर्मचारों से भिन्न) पुलिस विभाग के आवश्यकतानुसार पाक कला, ड्रेस कोड, गेनटेनेन्स और अन्य सुसंगत विषयों में या विभागाध्यक्ष द्वारे यथा विनिश्चित रूप से, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं से 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।</p>
23	<p>(1) सेवा में किसी पद पर भौतिक रूप से नियुक्त विररी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।</p> <p>परन्तु स्थापना में किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से की गई नियुक्ति के लिए परिवीक्षा की अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिनी जा सकती है।</p> <p>परन्तु यह और कि नियुक्ति अधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक के लिए अवधि बढ़ाई गयी है :</p> <p>परन्तु यह भी कि परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।</p> <p>(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान विररी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्याय विफल रहा है तो उसके भौतिक पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावासीत किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवार्थ समाप्त की जा सकती है जिसके लिए वह दोनों ही स्थितियों में विररी प्रतिकर का हक्कार नहीं होगा।</p>
24	<p>किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में स्थाई कर दिया जायेगा यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझता है और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाती है।</p>

ज्येष्ठता

25

(1) इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाय किसी श्रेणी के पद में व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त हों तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में व्यवस्थित किये गये हैं :

परन्तु यह कि यदि किसी नियुक्ति आदेश में कोई विशेष पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट किया गया है जिस दिनांक से वह व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त हुआ है तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में, वह आदेश के निर्गत किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधे नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाये :

परन्तु यह कि सीधे नियुक्त कोई अभ्यर्षी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि उसको रिक्ति प्रस्तावित किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है। कारणों की विधिमान्यता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जैसी उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

भाग-सात-वेतन दर्यावि

वेतनमान

26

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो, नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतन-मान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वर्तमान वेतन मान निम्नवत है :-

	पद का नाम	वेतन बैंड	ग्रेड
(क)	अर्दली प्यून, फालोवर/कुक/कहार, नाई, धोबी, मोची, सईस, संदेश वाहक, चौकीदार, माली, ग्राउण्डमैन, फर्शा, सफाईकर्मी, भिश्ती, मल्लाह, गार्सकटर, वाटरमैन, पोर्टर, बण्डल लिफ्टर, हास्टल अटेण्डेण्ट, हाउस एवं टेबिल क्लियरर और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद	4440-7440	1300
(ख)	हेड प्यून	4440-7440	1400
(ग)	हेड फालोवर/कुक/कहार	4440-7440	1400
(घ)	दफ्तरी/जित्वसाज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर	4440-7440	1400
(ङ)	मुख्य फर्शा	4440-7440	1400
(च)	मुख्य सफाईकर्मी	4440-7440	1400
(छ)	प्रधान माली	4440-7440	1400
(ज)	प्रधान धोबी	4440-7440	1400
(झ)	प्रधान नाई	4440-7440	1400

परिचीक्षा अवधि में वेतन	()	प्रधान मोची	44-10-74-10	1400
	(ट)	प्रधान वाटरमैन	44-10-74-10	1400
	(ठ)	प्रधान सईरा	44-10-74-10	1400
	(ड)	प्रधान नाविक	44-10-74-10	1400
	27	<p>(1) सेवा में नियुक्त नियुक्त के दिनांक से, समय समय पर यथा संशोधित नियम 26 के उप नियम (1) में यथा परिभाषित वेतनमान के अनुसार कोई व्यक्ति वेतन के लिए हकदार होगा।</p> <p>(2) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिचीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समय-मान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो।</p> <p>परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिचीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।</p> <p>(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सेवा में कोई पद धारण कर रहा हो, परिचीक्षा अवधि में वेतन सुरांगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।</p> <p>परन्तु यदि संतोष प्रदान कर सकने के कारण परिचीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।</p> <p>(4) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिचीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।</p>		

भाग-आग: अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन	28	सेवा में पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित शिफारिशों से किन्हीं अन्य शिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिये अनर्ह कर देगा।
अन्य विषयों का विनियमन	29	ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमान्वली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के किन्हीं कलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमनों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।
सेवा की शर्तों में शिथिलता	30	जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असाध्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उल्लंघन तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहने हूये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से लागू करने के लिये आवश्यक समझे, अभिगुणता या शिथिल कर सकती है।

भावृत्ति-

31. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,


28.08.07
(महेश कुमार गुप्ता)
सचिव।